रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 262] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 1974/आश्विन 30, 1896
No. 262] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 1974/ASVINA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October 1974

G.S.R. 433 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4C of the Indian Iron and Steel Company (Taking Over of Management) Act, 1972 (50 of 1972), the Central Government hereby specifies that the Administrator appointed under sub-section (1) of the said section 4C, shall, for the proper management of the affairs and business of the undertaking of the Company, exercise the following powers and discharge the following functions, namely.—

(i) the Administrator shall be in charge of the management of the affairs of the undertaking of the Company;

(ii) the Administrator shall be in overall charge of the officers and persons employed in connection with the affairs of the undertaking of the Company;

(iii) the Administrator shall, save in regard to matters specified in the Appendix to this notification, exercise powers of management in relation to the undertaking of the Company;

(iv) the Administrator shall, have full powers to institute, defend, compromise, compound or abandon legal proceedings or refer claims to arbitration and execute powers of attorney and sign vakalatnamas, mukhtarnamas, plants, written statements and all other documents and papers in connection with legal proceedings for and on behalf of the Company;

(v) the Administrator may, save as otherwise provided, authorise any Head of Department under him, to exercise all or any of the powers conferred upon him by this notification; and

(vi) the Administrator may, in between two meetings of the Board of management, within the ambit of operational necessary and efficiency or to meet an emergency, assume full powers of the Board, *provided*, however, that an immediate report is made to the Board of management for such direction as the Board may deem fit to give.

APPENDIX

The following matters shall require the prior approval of the Board of Management, namely:—

A. *BUDGET*

(i) Annual programmes and estimates for a capital and operational expenditure in respect of units under the Company.

B. *PERSONNEL*

(ii) Any changes in rules and regulations relating to recruitment, placement, promotions, deputations and other conditions of service and disciplinary action as may be prescribed.

(iii) Appointments where the maximum of the pay scale of the post is Rs. 2400/- per month and above.

(iv) Any changes in wage structure and scale of pay in force.

(v) Policy matters relating to bonus and allowance.

C. *WORKS*

(a) *Estimates*

(vi) Any estimate above rupees ten lakhs not included in the annual works programme for the year.

(vii) Any estimate above rupees fifty lakhs in value in case of projects where the sanction has been given by components.

(viii) Any deviation resulting in substantial modification in the scope of the component of the project for which sanction has already been given by competent authority.

(b) *Sanctions*

(ix) A project report and estimate as a whole for expansion of existing facilities of the plants or for establishment of new units and facilities.

(x) Any placing of orders or the incurring of any commitment if:—

(a) the project report has not been sanctioned.

(b) the component of a sanctioned project report has not received the approval of the competent authority.

(c) *Contracts*

(xi) Any award of contracts of the value of rupees fifty lakhs and above forming a component of the project report already sanctioned.

(xii) Any contracts and/or commitments involving a period longer than 3 years and of a value exceeding rupees fifty lakhs in each individual case except for commodities for which statutory price controls are in existence.

NOTES.—This shall not apply to contracts for works and equipment.

(xiii) Any major alteration of or departure from the terms of contracts of value exceeding rupees fifty lakhs and likely to result in additional ways and means obligations.

(xiv) Any acceptance of disputed claims over the value of rupees ten lakhs when they do not involve foreign exchange and over the value of rupees five lakhs when they involve foreign exchange.

D. *MODIFICATIONS AND REPLACEMENTS*

(xv) Any additions, alterations and modifications to an existing asset and to replacements of existing assets of over rupees ten lakhs which are not included in the approved capital programme of the year.

E. *WRITE OFF*

(xvi) Any proposal to write off of any items of stores, equipment, tools and plants and materials, other than raw materials above the value of rupees one lakh in each case.

(xvii) Any proposal to write off of any raw material shortage exceeding prescribed limits and exceeding rupees two lakhs for each material.

(xviii) Any proposal to write off of the shortage of cash exceeding rupees five thousand in each case.

F. *GENERAL*

(xix) Any grant of compensation to employees other than the employees of the Company arising from any cause above rupees two lakhs in each case.

(xx) Any sale or alienation in any form of any immovable property vested in the Company.

(xxi) Any grants or donations or *ex gratia* payments not arising from recognised rules relating to amenities and welfare, over rupees ten thousand in each case and rupees one lakh throughout the year.

(xxii) Any settlement of claims against the Company from any cause not provided in any other items of the Appendix exceeding rupees fifty thousand in each case.

(xxiii) Any policy for allotment of land to outside parties.

(xxiv) Any expenditure on an object which has not been previously recognised as fit object for expenditure by the company.

[No. Ind. IV-10(79)/74]

S. S. SIDHU, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि० 433(अ).—इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 50) की धारा 4ग की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त धारा 4ग की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक, कम्पनी के उपक्रम के कार्यकलापों और कारबार के उचित प्रबंध के लिए, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(i) प्रशासक कंम्पनी के उपक्रम के कार्यकलापों के प्रबन्ध का भारसाधक होगा;

(ii) प्रशासक कम्पनी के उपक्रम के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित अधिकारियों और व्यक्तियों का सर्वोपरि भारसाधक होगा ;

(iii) प्रशासक, इस अधिसूचना के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट विषयों के सिवाय, कम्पनी के उपक्रम के संबंध में प्रबंध संबंधी शक्तियों का प्रयोग करेगा ;

(iv) प्रशासक को कम्पनी के लिए और कम्पनी की ओर से विधि कार्यवाहियां संस्थित करने, उनमें प्रतिरक्षा करने, समझौता करने, उन का शमन या परित्याग करने या दावों को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने तथा मुख्तारनामा निष्पादित करने और वकालतनामे, मुख्तारनामे, बन्धपत्रों और लिखित कथनों और विधिक कार्यवाहियों से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों और कागजों पर हस्ताक्षर करने की पूरी शक्ति होगी ;

(v) प्रशासक, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिसूचना द्वारा उसको प्रदत्त सभी शक्तियों या उन में से किसी का प्रयोग करने के लिए अपने अधीन किसी विभागाध्यक्ष को प्राधिकृत कर सकेगा ;

(vi) प्रशासक, प्रबन्ध बोर्ड के दो अधिवेशनों के बीच, कार्य परिचालन की आवश्यकता और दक्षता की सीमाओं के भीतर या किसी आपात स्थिति का सामना करने के लिए, बोर्ड की पूरी शक्तियां धारण कर सकेगा, परन्तु यह कि ऐसे निदेश के लिए, जो बोर्ड देना ठीक समझे, एक रिपोर्ट—प्रबन्ध बोर्ड को तुरन्त दी जायेगी ।

परिशिष्ट

निम्नलिखित विषयों में प्रबन्ध बोर्ड का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा, अर्थात् :—

क. बजट

(i) कम्पनी के अधीन एककों की बाबत पूंजीगत और कार्य परिचालन व्यय के लिए वार्षिक कार्यक्रम और प्राक्कलन ।

ख. कार्मिक

(ii) भर्ती, पदस्थापन, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सेवा की अन्य शर्तों और अनुशासनिक कार्यवाही, जो विहित की जाएं, से संबंधित नियमों और विनियमों में कोई परिवर्तन ।

(iii) नियुक्तियां, जहां पद के वेतनमान का अधिकतम 2400 रु० प्रतिमास तथा उससे अधिक है ।

(iv) प्रवृत्तमान मजदूरी ढांचे और वेतनमान में कोई परिवर्तन ।

(v) बोनस और भत्ते से संबंधित नीति के विषय ।

ग. निर्माण

(क) प्राक्कलन

(vi) दस लाख रुपये से अधिक का कोई प्राक्कलन, जो वर्ष के लिए वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया हो ।

(vii) ऐसी परियोजनाओं की दशा में जहां संघटकों द्वारा मंजूरी दे दी गई है, पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य का कोई प्राक्कलन ।

(viii) उस परियोजना के, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है, संघटक की परिधि में कोई परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप कोई तात्विक उपान्तरण हो ।

(ख) मंजूरियां

(ix) संयंत्रों की विद्यमान सुविधाओं के विस्तार के लिए या नए एककों और सुविधाओं की स्थापना के लिए कुल मिलाकर एक परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन ।

(X) यदि —

(क) परियोजना रिपोर्ट मंजूर नहीं की गई है,

(ख) किसी मंजूर की गई परियोजना रिपोर्ट के संघटक को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है,

तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति के लिए कदम उठाना और बचन बद्धता को पूर्ति करना ।

(ग) संविदाएं

(Xi) पचास लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य वाली संविदाओं का कोई पैकेट, जो पहले से मंजूर की गई परियोजना रिपोर्ट का भाग रूप है ।

(Xii) ऐसी वस्तुओं को छोड़कर, जिनके लिए कानूनी कीमत नियंत्रण विद्यमान है, कोई संविदाएं और/या बचन बद्धता जो तीन वर्ष से अधिक अवधि के संबंध में हो और जो पृथक्-पृथक् मामले में पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य की हो ।

टिप्पण —यह निर्माण और उपस्कर की संविदाओं को लागू नहीं होगा ।

(Xiii) पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य की संविदाओं में कोई बड़ा फेर-फार या उनके निबंधनों में परिवर्तन जिनसे अतिरिक्त वार्षिक बाध्यताओं के उत्पन्न होने की सम्भावना हो ।

(XiV) दस लाख रुपये के मूल्य से अधिक के विवादग्रस्त दावों का जो विदेशी मुद्रा से संबंधित नहीं हों, और यदि वे विदेशी मुद्रा से संबंधित हों तो तब जब ये पांच लाख रुपये के मूल्य से अधिक के दावों के हों, प्रतिग्रहण ।

घ. उपस्करण और प्रतिस्थापन

(XV) किसी विद्यमान शक्ति में कोई परिवर्तन, फेरफार और उपस्करण और दस लाख रुपये से अधिक की विद्यमान ऐसी आस्तियों का प्रतिस्थापन जो वर्ष के अनुमोदित पूंजी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किए गए हैं ।

ङ. बट्टे खाते डालना

(XVi) भंडारों, उपस्कर, औजार और संयंत्रों और सामग्रियों, कच्ची सामग्रियों से भिन्न, की प्रत्येक दशा में एक लाख रुपये के मूल्य से ऊपर के किन्हीं मदों को बट्टे खाते में डालने का कोई प्रस्ताव ।

(XVii) विहित सीमाओं से अधिक और प्रत्येक सामग्री के लिए दो लाख रुपये से अधिक की किसी कच्ची सामग्री की कमी को बट्टे खाते में डालने का कोई प्रस्ताव ।

(XViii) प्रत्येक मामले में, पांच हजार रुपये से अधिक की नकदी की कमी को बट्टे खाते में डालने का कोई प्रस्ताव ।

ख. साधारण :

(XiX) कंपनी के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों को, किसी भी वाद हेतुक से उत्पन्न, प्रत्येक मामले में दो लाख रुपये से अधिक के प्रतिकर का दिया जाना ।

(XX) कम्पनी में निहित किसी स्थावर संपत्ति का किसी रूप में विक्रय या अन्य संक्रामण ।

(XXi) सुविधाओं और कल्याण से संबंधित अनुदान या संदान या अनुग्रहपूर्वक संदाय, जो मान्यताप्राप्त नियमों से प्रोद्भूत न होवे, और, प्रत्येक मामले में, दस हजार रुपये से अधिक और सम्पूर्ण वर्ष में एक लाख रुपये के हों ।

(XXii) ऐसे किसी वाद हेतुक से, जिसके लिए परिशिष्ट की किन्हीं अन्य मदों में उपबंध नहीं किया गया है, कम्पनी के विरूद्ध, प्रत्येक मामले में, पचास हजार रुपये से अधिक के दावों का परिनिर्धारण ।

(XXiii) बाहरी पक्षकारों को भूमि के आबंटन के लिए कोई नीति ।

(XXiV) किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जिसकी कम्पनी द्वारा व्यय के लिए उपयुक्त उद्देश्य के रूप में पहले मान्यता नहीं की गई है, कोई व्यय ।

[सं० आई० एण्ड डी० II-10(79)/74]

एम० एस० सिद्धु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974